

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय****आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 26658/2026**

असलम

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्षकार

आवेदक के अधिवक्ता	: अजय कुमार
विपक्षी पक्षकार के अधिवक्ता	: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 55**माननीय विक्रम डी. चौहान, न्यायमूर्ति**

1. राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि उन्हें निर्देश प्राप्त हो गए हैं और यदि जमानत आवेदन को गुण-दोष के आधार पर सुना जाता है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया कि आवेदक उस ट्रक का चालक है, जिसमें 525 बोरी यूरिया का परिवहन किया जा रहा था। उक्त ट्रक को पुलिस तथा जिला कृषि अधिकारी द्वारा रोक लिया गया। आवेदक को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। आवेदक संबंधित माल का स्वामी नहीं है। सह-अभियुक्त- स्योपाल सिंह को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 22583/2026 में पारित दिनांक 16.07.2026 के आदेश द्वारा पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है। आवेदक समानता के आधार पर जमानत की मांग करता है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक 11.05.2026 से जेल में निरुद्ध है और यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विचारण में सहयोग करेगा।
4. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, किंतु समानता के तथ्य से इनकार नहीं किया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

5. राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने ऐसा कोई तथ्य अथवा परिस्थिति न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की है, जिससे आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास अथवा पूर्ववृत्त प्रदर्शित हो, जो आवेदक को जमानत प्राप्त करने से वंचित करता हो।
6. यह राज्य का मामला नहीं है कि आवेदक ने जांच अथवा विचारण न्यायालय के समक्ष चल रही कार्यवाही में सहयोग नहीं किया है।
7. यह सिद्धांत कि “जमानत नियम है और जेल अपवाद” है, उच्चतम न्यायालय द्वारा, विशेष रूप से संविधान के अनुच्छेद 21 की कसौटी पर, भली-भांति मान्यता प्राप्त है। उक्त सिद्धांत को उच्चतम न्यायालय द्वारा **सत्येंद्र कुमार अंतिल बनाम केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो एवं अन्य, 2022 (10) एससीसी 51** में पुनः प्रतिपादित किया गया है। राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने ऐसी कोई असाधारण परिस्थिति नहीं दर्शाई है, जो आवेदक को जमानत देने से इनकार करने को उचित ठहराए।
8. राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा ऐसी कोई सामग्री, तथ्य अथवा परिस्थिति प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह प्रदर्शित हो कि अभियुक्त साक्ष्य अथवा गवाहों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, अथवा उसका चरित्र ऐसा है कि उसका खुले रूप से बाहर रहना मात्र ही गवाहों को भयभीत करेगा, अथवा अभियुक्त अपनी स्वतंत्रता का उपयोग न्याय की प्रक्रिया को विफल करने या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने के लिए करेगा।
9. यह विधि का स्थापित सिद्धांत है कि जमानत का उद्देश्य विचारण के दौरान अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करना है। राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा ऐसी कोई महत्वपूर्ण जानकारी अथवा परिस्थिति प्रस्तुत नहीं की गई है, जिससे यह संकेत मिले कि आवेदक न्याय से फरार हो जाएगा, न्याय की प्रक्रिया में बाधा डालेगा अथवा अन्य किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न करेगा, जैसे पुनः अपराध करना या गवाहों को भयभीत करना।
10. राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने ऐसी कोई सामग्री अथवा परिस्थिति प्रस्तुत नहीं की है जिससे यह प्रदर्शित हो कि व्यापक जनहित अथवा राज्य के हित में अभियुक्त/आवेदक जमानत का अधिकारी नहीं है।
11. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता तथा दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों पर विचार करते हुए और मामले के गुण-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, न्यायालय का मत है कि आवेदक ने जमानत प्राप्त करने का मामला बनाया है। जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

12. मुकदमा अपराध संख्या 206/2026, अंतर्गत धारा 318(4), 61(2), 336(3), 338, 316(5), 340(2) बी.एन.एस. तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 8, थाना-अनूपशहर, जनपद-बुलंदशहर में संलिप्त आवेदक-असलम, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए।

- i. आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- ii. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाह पर दबाव नहीं डालेगा/न ही उसे भयभीत करेगा।
- iii. आवेदक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो, और/या जब भी किसी पुलिस अधिकारी द्वारा आवश्यक समझा जाए, पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएगा।
- iv. आवेदक ऐसा कोई अपराध नहीं करेगा, जो उस अपराध के समान हो जिसके लिए उस पर आरोप लगाया गया है अथवा जिसके किए जाने का उस पर संदेह है।
- v. आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, ताकि वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।
- vi. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत से बाहर नहीं जाएगा।
- vii. यदि, आवेदक अपना आवासीय पता बदलता है, वह नए आवासीय पते की लिखित सूचना संबंधित न्यायालय को देगा।

13. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन पक्ष इस न्यायालय के समक्ष जमानत निरस्तीकरण आवेदन प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(विक्रम डी. चौहान, न्यायमूर्ति)

अगस्त 14, 2026

Translated Judgment. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।